

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 48).

[12 दिसम्बर, 2006]

बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने हेतु
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 है।

संक्षिप्त नाम।

2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 3 में बिहार से संबंधित मद 22 (इसे मद 21 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है) के, जैसी वह उक्त अधिनियम के हिन्दी पाठ में है, स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“21 लोहरा, लोहरा”।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

1976 का 108

(1 अक्टूबर, 1979 को यथा अधिसूचित)।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2006 / अग्रहायण 22, 1928
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2006 / AGRĀHAYANA 22, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 13th December, 2006/Agrahayana 22, 1928 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 12th December, 2006, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER

AMENDMENT ACT, 2006

No. 48 of 2006

[12th December, 2006.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Bihar.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 2006. Short title.

Amendment
of the
Constitution
(Scheduled
Tribes)
Order, 1950,
as amended
by the
Scheduled
Castes and
Scheduled
Tribes Order
(Amendment)
Act, 1976.

2. In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, in the Schedule, in Part III relating to Bihar, for item 22 (since renumbered as item 21), as appearing in the Hindi version of the said Act, the following shall be substituted, namely:—

"21. Lohara, Lohra".

108 of 1976
(as notified on
1st October,
1979).

K.N. CHATURVEDI,
Secy. to the Govt. of India.